(d) the date by which Delhi Development Authority now propose to hand over possession of the flats to the allottees ; and

(e) the steps Delhi Development Authority proposes to take to ensure that the scheduled date of handing over of possession to be indicated against item (d) above, is adhere to ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.

(b) DDA has reported that flats have not been completed so far due to various reasons such as dispute in respect of certain portions of land, shortage of cement, etc., acute shortage of labour during certain periods, time taken in planning and designing within the organisational constraint, delay on the part of the constractors, and limitation of site and its approach.

(c) Suitable action will be taken against the contractors for delays under the terms of the contract after the works are completed.

(d) The flats are expected to be ready for allotment by November 1984.

(e) To ensure the completion of the flats by the scheduled date, the contractors are being pursued vigorously to expedite the work. Detailed Post Chart/Bar Charts have also been prepared and progress is reviewed constantly to take steps to make up the slippages and shortfalls.

भारत में खेलने वाली विदेशी टीमें

3274. श्री बिरदा राम फुलवारिया : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी टीमों की संख्या क्या है जिन्होंने भारत में वर्ष 1983-84 तथा जून, 1984 तक मैच खेले ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत): सरकार द्वारा अप्रैल, 1983 से जून, 1984 की अवधि के दौरान भारत में 221 विदेशी टीमों/खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विषयों में मैच खेलने की अनुमति दी गई थी।

झूम खेती

3275. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झूम खेती वाले राज्यों के क्या नाम हैं और उनके किन-किन क्षेत्रों में झूम खेती की यह प्रणाली अभी भी विद्यमान है ;

(ख) क्या सरकार ने खेती की इस प्रणाली द्वारा किये जा रहे पर्यावरण प्रदूषण और वनों की क्षति को रोकने के लिए कोई नियम बनाये हैं और यदि हां, तो उन नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार खेती की इस प्रकार की पुरानी प्रणाली को बन्द करने के लिए निकट भविष्य में क्या सख्त कदम उठायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ने झूम खेती से सम्बन्धित कुछ नियम और विनियम बनाए हैं। इसमें मृदा और जल-संरक्षण के हित में झूम खेती की रोकथाम करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार ये नियम व विनियम वनों को नुकसान से बचाते हैं। तथापि, व्यवहार में प्रवर्तन प्रभावशाली नहीं रहा है क्योंकि उन समुदायों जो इस कृषि पद्धति को व्यवहार में ला रहे हैं, के रीति रिवाज, परम्पराओं और संस्कृति का सम्मान करना होता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार और इस समस्या से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों का विचार यह है कि

झूम खेती करने वालों को इस कार्य से वैकल्पिक लाभकारी व्यवसाय का प्रबन्ध करके हटाया जाना है। सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इस दृष्टिकोण की सिफारिश करने के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा तदनुसार 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपयुक्त विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करने का भी विचार है।

राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्रों पर व्यय

3276. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या उन नेहरू युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित युवकों नें कुछ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विजय हासिल की है;

(ग) क्या नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से युवा बालिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया तथा क्या उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) नेहरू युवक केन्द्रों की योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है।

(ख) योजना युवकों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 1200 लड़कियों को सिलाई, बुनाई, टेलरिंग, कढ़ाई आदि जैसे चुने हुए व्यवसायों में राजस्थान के नेहरू युवक केन्द्रों को प्रशिक्षण दिया गया था ताकि उनकी कार्यात्मक क्षमताएं बढ़ें और वे आत्म-निर्भर हो सकें।

Allotment of Government Accommodation to SC/ST Employees

3277. SHRI SWAMI INDERVESH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether most of the SC/ST employees who have served in Central Government Offices for more than three years, have not yet been given Government accommodation ; and

(b) if so, the number of SC/ST employees, category-wise, who have been allotted Government accommodation during the last three years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) 10% of the vacancies in Type A and Type B and 5% in Type C and Type D in General Pool in Delhi are reserved for allotment for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees and the allotments are made according to the date of priority of the employees. Date of priority covered in SC/ST as on 16.7.1984 in General Pool are as under :

Type of accommodation	Date of Priority	
	S.C.	S.T.
Type A	11.4.66	14.11.69
Type B	23.9.61	3.2.71
Type C	19.12.63	1.7.73
Type D	5.8.63	20.3.63